58

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1408–एक/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–8–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त जबलपुर संभाग,जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 517 बी 105/2003–04

अंचल कुमार पचौरी नावालिक
पुत्र एंव सरपरस्त राघवेन्द्र पचौरी पुत्र
स्व.रामदास पचौरी निवासी
मौजा बगलई उजार, तहसील गोटेगांव
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 15 फरवरी, 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 517 बी 105/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 25–8–2004 के विरूद्ध यह निगरानी स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अपीलांट ने मौजा सिमरी स्थित भूमि खसरा नंबर 21/2, 21/4 में से रकबा 2.105 हैक्टर क्रय करके विक्रय विलेख उप पंजीयक गोटेगॉव के समक्ष संपादन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक व्दारा विक्रीत भूमि पर कम स्टाम्प डयूटी देय पाने से प्रकरण जिला पंजीयक की ओर स्टाम्प डयूटी निर्धारण हेतु प्रस्तावित किया। जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर

नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 18 बी 105/2001-02 पंजीबद्ध किया एंव अपीलांट को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया। अपीलांट की ओर से अपीलांट के पिता सह संरक्षक व्दारा बचाव प्रस्तुत किया। जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर ने आदेश दिनांक 26-12-2002 पारित किया तथा अपीलांट व्दारा विक्रय पत्र पर कम देय स्टाप्म डयूटी का बाजार मूल्य निर्धारित करते हुये 33,511/-रू. वसूल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 517 बी 105/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 25-8-2004 से अपील समयवाह्य प्रस्तुत होने से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में दर्शाए गए आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपीलांट ने मौजा सिमरी स्थित भूमि खसरा नंबर 21/2, 21/4 में से रकबा 2.105 हैक्टर कय करके विक्रय विलेख 36,500/- रु. स्टाम्प डयूटी देते हुये उप पंजीयक गोटेगॉव के समक्ष संपादन हेतु प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड व्दारा अनुमोदित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांतों अनुसार वर्ष 2002-03 के लिये निर्धारित दर पर विक्रीत भूमि का मूल्य 7,88,850/-रू. है। तद्नुसार जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर ने आवेदक को सुनवाई के पर्याप्त अवसर देते हुये आदेश दिनांक 26-12-2002 पारित करके तद्नुसार देय स्टाम्प डयूटी 33,511/- कम होने पर वसूली के

आदेश दिये हैं परन्तु अपीलांट के अभिभाषक यह प्रमाणित करने एंव समाधान कराने में असफल रहे हैं कि केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड व्दारा अनुमोदित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांतों अनुसार विक्रय मूल्य निर्धारित करने में उप पंजीयक एंव जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर ने किस प्रकार की त्रृटि की है। जहॉ तक अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्र0क्र0517 बी 105/2003-04 में पारित आदेश दि0 25-8-04 से अपील को विलम्ब के आधार पर निरस्त किये जाने का प्रश्न है? जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 26-12-2002 के विरूद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त के समक्ष वर्ष 2004 में प्रस्तुत की है एंव अपीलांट के संरक्षक ने जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दि0 26-12-2002 को आदेश पत्रिका के हासिये में 30-12-2002 को टीप किया है इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दि0 26-12-2002 की जानकारी उन्हें वर्ष 2004 तक नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष सही होना पाये गये हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 517 बी 105/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 25-8-2004 एंव जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18 बी 105/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2002 विधिवत् होने से स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर